



Email: [arcbikaner.cswri@icar.gov.in](mailto:arcbikaner.cswri@icar.gov.in). दूरभाष : 0151.2250322 फ़ैक्स नं. 0151.2250936  
भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  
मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर-राजस्थान (भारत) 334006  
**ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute**  
ARID REGION CAMPUS BEECHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER RAJASTHAN (INDIA)



Dated 09.01.2020

## NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for the Institute for helping in research related activities in sheep under Magra, Marwari, Chokla sectors** at ARID REGION CAMPUS BEECHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER 334006 RAJASTHAN (INDIA)

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

### CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	F.No.3(39)BK/2013/Vol.I
Date and Time for issue/Publishing	09-01-2020, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	09-01-2020, 5.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	10-01-2020, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	31-01-2020, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	01-02-2020, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs. 1000/- Earnest money – Rs. 30,000/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	CSWRI UNIT ARC, Bikaner Payable at Punjab National Bank Branch – Beechwal Ind. Area, Bikaner Rajasthan 334006
Address for Communication	The Head, C.S.W.R.I., ARID REGION CAMPUS BEECHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER

Head

## INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in>. online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (<https://eprocure.gov.in>) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
- 2- Tenderer/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1,000/-** (Nonrefundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **CSWRI UNIT ARC, Bikaner payable at Punjab National Bank, Beechwal Ind. Area, Bikaner may be addressed to the Head, C.S.W.R.I., ARC, Bikaner, Rajasthan Pin- 334006** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank in favour of **CSWRI UNIT ARC, Bikaner payable at Punjab National Bank, Beechwal Ind. Area, Bikaner** may be addressed to the **Head, C.S.W.R.I., ARC, Bikaner, Rajasthan Pin- 334006** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Head, C.S.W.R.I., ARC, Bikaner, Rajasthan Pin- 334006 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**
- 7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI,ARC, Bikaner. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, ARC, Bikaner then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST Number
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case which documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessarily cause confusion.

Head



निविदा प्रपत्र सूची  
संस्थान परिसर के मगरा, मारवाडी एवं चौकला सेक्टरों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य का  
अनुबन्ध

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ ली हैं तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान परिसर के मगरा, मारवाडी एवं चौकला सेक्टरों के अन्तर्गत अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/टेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि उपयुक्त अनुबन्ध कार्य को उक्त दर्शायी गई दरों पर करूँगा तथा मैं प्रभारी पशु प्रक्षेत्र या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या मेरे प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि उपयुक्त अनुबन्ध कार्य को उक्त दर्शायी गयी दरों पर करूँगा तथा उसमें जरूरी कार्मिक आपके आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाऊँगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे सज़ान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर टेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील  
पूरा पता  
टेलीफोन/मोबाईल नं



संस्थान परिसर के मगरा, मारवाडी एवं चौकला सेक्टरों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने की नियम व शर्तें

1. अनुबन्ध की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि कम या एक वर्ष बढ़ाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये तीनों सेक्टर के लिए उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। अलग-अलग सेक्टर के लिए न्यूनतम एवं उचित के दर के सफल ठेकेदार अलग हो सकते हैं। निविदा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समझा जावेगा।
3. सेक्टरों के अन्तर्गत सभी जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी साथ ही सेक्टर पर स्थित/रखी हुई संस्थान की स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्ति की सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता की होगी। तीनों सेक्टरों पर कुल भेड़ों/मेढ़ों की अनुमानित संख्या सेक्टर मगरा पर 650, मारवाडी पर 750 एवं चौकला पर 500 होगी। जो कि संस्थान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर कम या अधिक हो सकती हैं।
4. सेक्टरों पर ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता द्वारा एक सुनिश्चित योग्य स्थायी एवं अनुभवी मुखिया उपलब्ध कराना होगा ताकि उसे सेक्टर पर भेड़ों/मेढ़ों के कार्य में लगे श्रमिकों की जिम्मेदारी दी जा सके एवं रोजाना के कार्य भी बताए जा सकें।
5. सेक्टरों के आस-पास आवारा पशु नहीं होने चाहिए।
6. जानवरों की चराई का काम निम्नलिखित समयानुसार होगा:-
  - (1) 15 मार्च से 14 अप्रैल तथा 15 जुलाई से 14 अक्टूबर तक प्रातः 6-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक।
  - (2) 15 अप्रैल से 14 जुलाई प्रातः 5-00 बजे से 12-00 बजे तक एवं सायं 4-00 बजे से सायं 7-00 बजे तक।
  - (3) 15 अक्टूबर से 14 मार्च तक सुबह 8-00 से सायं 6-00 बजे तक
7. जानवरों को सेक्टर पर केवल आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने व सेक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के लिये प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार लाना होगा।
8. जानवरों को सिर्फ संस्थान परिसर में निर्धारित चरागाह क्षेत्र में ही चराना होगा। जानवरों को संस्थान के चरागाह क्षेत्र के अलावा अन्य चरागाह में बिना सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि की अनुमति के नहीं ले जाया जायेगा। जंगली जानवरों से बचाव के लिए रेवड़ के साथ अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे।
9. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी। यदि अनुबन्धकर्ता के आदमियों की असावधानी से या बीमारी की सूचना समय पर न देने से जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। उसका हर्जाना जो भी किताबी कीमत होगी भरना पड़ेगा। भेड़ों/मेढ़ों की चराई सतोषजनक न होने पर एवं उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता के भुगतान के बिल में से वजन के अनुपात में कटौती की जायेगी।
10. जानवरों को जंगल में होने वाली अचानक हिंसात्मक समस्या या घटना को रोकने के लिये अनुबन्धकर्ता को चराई एवं देखभाल आदि कार्य हेतु कुशल, अनुभवी, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट एवं मानसिक रूप से स्वस्थ श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो को लगाना होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्वाले जानवरों को चराते समय सतर्क रहे।
11. चराई के बाद जानवरों को प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रखना होगा एवं उनकी रखवाली/चोकीदारों की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी सेक्टर के जानवरों को दिन में चराई के बाद रात्रि के समय निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर भी रखे जा सकते हैं तथा उनकी रखवाली व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
12. सेक्टर पर स्थित भेड़ों/मेढ़ों/मैमनों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी तथा भेड़ों/मेढ़ों/मैमनों के खो जाने या चोरी हो जाने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। जंगली जानवरों द्वारा भेड़ों/मेढ़ों का शिकार हो जाने पर, सूचना उपरान्त, विभागीय/स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंसा पर भेड़ों/मेढ़ों की किताबी कीमत (बुक वेल्थ) की कटौती, चरवाहे की लापरवाही/सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी। खोने/चोरी हो जाने की स्थिति में जानवरों की किताबी कीमत का दो गुना हर्जाना भरना पड़ेगा, तथा इस हर्जाने की राशि को 15 दिन की निश्चित अवधि में जमा कराना होगा अन्यथा यह राशि को उनके देय बिल में से काट ली जायेगी।
13. किसी भी भेड़ों/मेढ़ों/मैमने की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर को देनी होगी ताकि उसके पोस्टमार्टम/चीरफाड आदि की व्यवस्था समय पर की जा सके। चरागाह/सेक्टर पर मृत जानवर को गाड़ी में डालने की व्यवस्था भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। किसी कारणवश गाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर मृत जानवर को पोस्टमार्टम के लिये स्वयं के साधन पर लाद कर पहुँचाना होगा।
- (क) जानवरों का उपचार करते समय जानवरों को पकड़ने के लिए जरूरी सहायता भी अनुबन्धकर्ता को देनी होगी। भेड़ों में लगाये गये श्रमिक तथा चरवाहे कम से कम बदले जावेगें। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ख) यदि प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है उस समय अलग-2 प्रयोगात्मक कार्य के लिये अलग व्यक्तियों की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी पड़ेगी जो कि सामान्य दैनिक कार्यों से अलग होगी।
14. सेक्टर पर स्थित भेड़ों/मेढ़ों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नहीं रख सकेंगे।
15. भेड़ों के ब्याते ही उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी एवं भेड़ एवं उसके बच्चे को सेक्टर पर लाना होगा।
17. भेड़ों/मेढ़ों को चरागाह क्षेत्र में चराने के साथ-2 समयानुसार पेड़ों की छागाई करके पत्तियां भी खिलानी होगी। पेड़ों की छागाई उचित रूप से करनी होगी तथा जब कभी जानवरों को दाना/चारा आदि देना हो तो यह कार्य भी अनुबन्धकर्ता को अपने श्रमिकों के द्वारा ही डलवाना होगा। दाना व चारा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
18. सेक्टर पर आपूर्तित चारे की सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना सुनिश्चित करना होगा।



19. मादा रेवड को नर के रेवड से अलग चराना एवं रखना होगा। मेमनों/बच्चों के रेवड 3 माह से 18 माह तक के नर एवं मादा को भी अलग-2 चराना होगा। भेड़ों को चराने की व्यवस्था सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के दिशानिर्देशानुसार एवं निम्न प्रकार से करनी होगी:-
- (क) भेड़ों/मेढ़ों के रेवड निम्न प्रकार होंगे:-
- (अ) ब्याई हुई भेड़ें (ब) ग्याबिन भेड़ें (स) बिना ब्याई भेड़ें (द) कमजोर व बीमार (आवश्यकतानुसार) (य) नर रेवड
- (ख) किसी भी रेवड में 125 से अधिक जानवर होने पर दो आदमी/श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ब्याई हुई भेड़ों के किसी भी रेवड में अधिकतम संख्या 100 तक ही रखनी होगी।
- (ग) किसी भी हालत में नर रेवड को मादा रेवड में नहीं मिलाया जायेगा। यदि नाजायज मेमना/बच्चा पैदा होता है तो उसका जुर्माना रू0 1000.00 प्रति बच्चा के हिसाब से जुर्माना देय होगा। नाजायज जुड़वा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी।
- (घ) रेवडों की चराई के लिये लगाये गये आदमियों से सेक्टर के अन्य रोजमर्रा के कार्य नहीं लिए जायेंगे। दूसरे कार्यों के लिए अलग से आदमी लगाने होंगे।
20. भेड़ों/मेढ़ों/मेमनों के बाड़ों/ट्रफों की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों/ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी।
21. निम्नलिखित कार्यों के लिये अतिरिक्त श्रमिकों/मजदूरों की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी है:-
- (क) बीमार जानवरों के ईलाज व देखभाल/टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सैक्टर पर बीमार जानवरों के लिये दाना व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा। जो जानवर अत्यधिक बीमार एवं संक्रमित रोग से ग्रसित हो उन्हे अलग से आईसोलेशन बाडा (टेक्नॉलोजी पार्क के सामने) में रख कर उनकी पूरी देखभाल करनी होगी।
- (ख) भेड़ों/मेढ़ों को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। ऊन कल्पन से पहले साफ पानी से नहलाना तथा उक्त कार्य के लिये डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा। जानवरों को नहलाते समय लापरवाही वश यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए उपरोक्त (निर्धारित) हर्जाना वसूल किया जावेगा।
- (ग) आवश्यकतानुसार भेड़ों/मेढ़ों के मेमनों/बच्चों का वजन करवाना, ऊन कल्पन के दौरान जानवरों को शेड में पहुँचाना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुरों एवं उनके बाल काटना, साथ ही संक्रमण से बचाने के लिये नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी/प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।
- (घ) भेड़ों के मदकाल की जांच के लिये सबुह व शाम को मेढ़ों को सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार रेवड में छोड़ना होगा। मद में आई भेड़ों को अलग करना तथा सही प्रजनन के बाद गर्भित भेड़ों को अलग करना होगा। नवजात मेमनों/बच्चों की देखभाल करना, टेग लगवाना, पूँछ कटवाना, खुर कटवाना तथा गोदने के कार्य में भी सहायता करना/करवाना होगा।
- (ङ) दाने को ट्रोली में भरकर सैक्टर पर खाली करना, भेड़ों/मेढ़ों के लिये चारे के शेड से चारा बाड़े में लाना आदि। ब्याई हुई भेड़ों के बाड़े में चारा/घास की व्यवस्था करनी होगी। नया चारा डालने से पहले बताये अनुसार चारे के शेड की सफाई करनी होगी। अनाथ बच्चों व उन बच्चों को जिन्हें उनकी मां दूध नहीं पिलाती है उनकी विशेष देखभाल करनी होगी।
- (च) वर्ष में कम से कम दो बार भेड़ों के सभी बाड़ों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 6 इन्च मिटटी की खुदाई करके मिटटी को प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिटटी डालनी होगी। बाड़ों में ट्रेक्टर द्वारा मिटटी डालते समय बाड़ों में लगी हुई चैनलिक फेन्सिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिये यदि किसी तरह का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी जिसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. अनुबन्ध की अवधि के दौरान सेक्टर पर स्थित पेड़-पौधों की देखरेख करनी होगी एवं उनको पानी पिलाना होगा।
23. सैक्टर पर जानवरों को आंधी, तूफान, वर्षा व अधिक सर्दी से बचाव के लिये प्रभारी सैक्टर या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार बन्दोबस्त करना होगा।
24. उक्त कार्य के लिये अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रतिनिधि का समय पर प्रबन्ध नहीं होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान अनुबन्धकर्ता को करना होगा यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटौती भी अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी।
25. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
26. अनुबन्धकर्ता या उसके प्रतिनिधि/मजदूरों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना होगा यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी सैक्टर को देनी होगी।
27. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सैक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा।
28. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PE/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
29. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (GST/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जज राशि की भी कटौती की जावेगी।
30. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सैक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय में पहुँचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
31. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता है।
32. भेड़ों/मेढ़ों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
33. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।



34. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
35. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिन में किया जावेगा।
36. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
37. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
38. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
39. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
40. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार बीकानेर होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार संस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा।
41. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
42. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
43. सफल ठेकेदार को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
44. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
45. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाइट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ ली हैं तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान परिसर के मगरा, मारवाडी एवं चौकला सेक्टरों पर अनसुधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ। साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मुझे किसी विभाग एवं मंत्रालय द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर निविदादाता  
निविदादाता का पता  
माबाईल नं